समाहरणालय, मधुबनी।
(जिला योजना कार्यालय)
-: निविदा आमंत्रण सूचना :-

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 (केन्द्रांश एवं राज्यांश) की वार्षिक कार्य योजना गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित खेल–कूद सामग्रियों के आलोक में मधुबनी जिला अंतर्गत सीमावर्त्ती सात प्रखंडों यथा (मधवापुर, हरलाखी, बासोपट्टी, जयनगर, लदनियाँ, लौकही एवं खुटौना) में पड़ने वाले कुल 07 (सात) हाई स्कूल यथा आई0एस0 हाई स्कुल, बासोपट्टी, जे0सी0एल0 हाई स्कूल, खाजेडीह, +2 हाई स्कूल, लठवा, +2 हाई स्कूल उत्तरा, +2 हाई स्कूल, बेंगरा, हाई स्कूल खुटौना, दीन दयाल हाई स्कूल, उमगॉव में खेल–कूद सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : **26.12.2017** को अपराह्न 01:00 बजे तक निबंधित प्रतिष्ठानों से मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को दिनांक : **26.12.2017** को ही अपराहन 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। खेल–कूद सामग्री एवं हाई स्कूल की विस्तृत सूची जिला योजना कार्यालय, मधुबनी से किसी भी कार्य दिवस में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक : **26.12.2017** को अपराहन 01:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है तथा www.prdbihar.gov.in and www.madhubani.bih.nic.in जिला के बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी निविदा में 1,00,000–/ (एक लाख) रूपये मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट जो जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से देय एवं मधुबनी में भुगतेय हो संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदादाता का प्रतिष्ठान आयकर, वाणिज्यकर/GST एवं लघु उद्योग से निबंधित होना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। (वित्तीय वर्ष 2016–17, 2015–16 एवं 2014–15)
4. निविदादाता को अंकेक्षित बैलेंस शीट विगत तीन वर्षों तक में कुल Turn over मो0 1,50,00,000.00 (एक करोड़ पचास लाख) रूपये का होना अनिवार्य है। (वित्तीय वर्ष 2016–17, 2015–16 एवं 2014–15)
5. निविदादाता का फर्म/प्रतिष्ठान ISO प्रमाण पत्र युक्त होना चाहिए तथा आपूत्ति की जानेवाली सामग्रियॉ ISI मार्का ही होना चाहिए।
6. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा।
7. निविदादाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य है।
8. निविदादाता के रूप में फर्म/कंपनी के प्रोपराईटर को भाग लेना है। अगर किसी कारणवश उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग लेते है तो तत्सम्बंधी प्राधिकृत प्रमाण पत्र नोटरी से अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है।
9. निविदादाता को खेल–कूद से संबंधित सामग्रियों को उपलब्ध कराने एवं अधिष्ठापन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता ISO तथा बिहार राज्य में Ministry of micro, Small & Medium Enterprises (सूक्ष्म, लघु और मध्यम, उद्यम मंत्रालय) से निबंधित होगें उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
11. खेल कूद सामग्रियों के निर्माता कम्पनी के प्राधिकृत बिक्रेता भी उपर्युक्त शर्तों के अधीन होने पर ही निविदा में भाग ले सकते है।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें –

12. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर जी0एस0टी0 सहित देना होगा।

(ग) सामान्य शर्तें –

13. जिला योजना कार्यालय, मधुबनी में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किये जाएगें।
14. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगी। एक पर तकनीकी निविदा लिफाफ एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा निविदा लिफाफ अवश्य लिखा होना चाहिए। दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
15. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
16. स्वीकृत आपूर्तिकर्त्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोंत पर निर्धारित कर कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा।
17. सभी सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित विद्यालयों/इनडोर स्टेडियम में अधिष्ठापन होने के पश्चात जिला खेल पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी द्वारा निर्गत संयुक्त प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
18. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
19. कार्यादेश के अनुरूप सभी सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर चिन्हित स्थलों पर करना होगा, जिसका उक्त स्थल तक का भाड़ा एजेंसी द्वारा देय होगी। अन्यथा संबंधित फर्म की जमानत राशि जब्त कर काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी।
20. जी0एस0टी0 की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
21. एकरारनामा के साथ Performance Security Deposit (एकरारनामा की राशि का 05 प्रतिशत) बैंक गारंटी/NSC जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से प्लेज किया हुआ जमा करना होगा। जिसकी बैधता 180 दिनो की अवधि तक रहनी चाहिए। Security Money की वापसी कार्य समाप्ति के पश्चात की जायेगी।
22. विवाद की स्थिति में न्यायलय, मधुबनी का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
23. बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
24. किसी विवाद के स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) अन्य शर्तें –

1. सामग्री की आपूर्ति के क्रय में सामग्री के परिवहन में हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए दावा मान्य नहीं होगा।

27/11/17

जिला योजना पदाधिकारी
मधुबनी

27/11/17
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 (केन्द्रांश एवं राज्यांश) में अनुमोदित योजनाएँ खेल–कूद का विशिष्टियॉ की विवरणी :–

SL.	Product Name		Qty
1	**Kabaddi mat** **1X1 mtrs 40 mm thick**	ISO CERTIFIED MANUFACTURING COMPANY	10.SET
2	**Weight Machine**	ISO CERTIFIED MANUFACTURING COMPANY	03.PCS

24/11/17
जिला योजना पदाधिकारी
मधुबनी

27/11/17
District Magistrate
Madhubani